


पत्रांक:- रा0प0का0 / 1340 / विधि -विधि / 2023-24, दिनांक 19 अगस्त 2023

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु "आन्तरिक परिवार समिति" का गठन।


महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिदोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राज्य परिवोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों को सुनने/ जाँच हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	मोबाइल नं०/ई-मेल	पद
1.	अंजुम फातिमा (उप राज्य परिवोजना निदेशक)	8279553918 anjumfatima986@gmail.com	अध्यक्ष
2.	नेहा रावत (समन्वयक)	9719249686 neharawat11115@gmail.com	सदस्य
3.	विजय चन्द्र थपलियाल (समन्वयक-विधि)	9627677449 vchat75@gmail.com	सदस्य
4.	निशा जोशी (Room to Read)	8057195135 nisha.joshi@roomtoread.org	सदस्य

  
(डॉ० मुकुल कुमार सती)  
अपर राज्य परिवोजना निदेशक  
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ०सं० रा0प0का0 / 1340 / विधि -विधि / 2023-24, तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. राज्य परिवोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. आन्तरिक परिवार समिति के सभी सदस्य।
5. समस्त अधिकारी/समन्वयक/कार्मिक राज्य परिवोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. श्री मुकेश ध्यानी, सिस्टम एनालिस्ट, राज्य परिवोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि सन्बन्धित सूचनाएं कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

  
(डॉ० मुकुल कुमार सती)  
अपर राज्य परिवोजना निदेशक  
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।